शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक..............

14/एम7–49/2012.............../ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2955 दिनांक 22.06.2009 में दिये गये निदेश के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना से प्राप्त आवेदन के आलोक में सरकारी सेवा में कार्यरत रहने की अवधि में मृत सरकारी सेवक स्व0 श्याम बाबु, आदेशपाल (मेहतर), राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना के आश्रित पुत्र श्री रवि कुमार, कौशल नगर, मुर्गी फार्म रोड, पोस्ट–जी०पी०ओ०, थाना–हवाई अड्डा, जिला–पटना को राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना–7 में वर्ग–3 के लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध लिपिक के पद पर वेतनमान 3050–4590 पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे 1900 में (समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य देय भत्ते के साथ) पूर्णतः अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए परीक्ष्यमान के रूप में निम्नलिखित शर्त्तो पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना–7 में पदस्थापित किया जाता है।

1. कम्प्यूटर सक्षमता संबंधी अहर्त्ता सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–3/एम–89/10 –1609 दिनांक 24.05.2011 से आच्छादित होगा।
2. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी होगी तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी।
3. पदभार ग्रहण करने के समय उन्हें किसी सरकारी असैनिक शल्य चिकित्सक से स्वास्थय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. अगर भविष्य में ऐसा पाया जायेगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जिन कागजातों के आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की गयी है, वह गलत है तो वैसी स्थिति में उनको एक कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।
6. पदभार ग्रहण करने के समय उन्हें विहित प्रपत्र में मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों के भरण पोषण करने संबंधी घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. योगदान के समय चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा एवं इससे होने वाला वार्षिक आय का शपथ पत्र देना होगा।
8. इनकी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–2955 दिनांक 22.06.2009 एवं पत्र संख्या–13293 दिनांक 05.10.1991 में निहित प्रावधानों के अनुसार इस शर्त्त पर की जाती है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित पारिवार के सदस्यों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व इन पर होगा। इस दायित्व की अवहेलना गम्भीर कदाचार माना जायेगा तथा इनके विरूद्ध कार्यवाही भी चलायी जा सकती है। यदि पाया जायेगा कि ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में इनकी कुल परिलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

9. यह नियुक्ति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–वि0(27)पें0 को0–53/04–2469 दिनांक 16.11.2005 के आलोक में दिनांक 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगा।

10. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि विभाग से करा लिया जाय।

11. श्री रवि कुमार को निदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान संबंधित कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर निश्चित रूप से दें।

12. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(खालिद मिर्जा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक–14/एम7–49/2012................/ पटना, दिनांक ..../.../2016

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(खालिद मिर्जा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक–14/एम7–49/2012................/ पटना, दिनांक ..../.../2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(खालिद मिर्जा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक–14/एम7–49/2012....781/ पटना, दिनांक 22/08/2016

प्रतिलिपिः– माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/अपर सचिव के निजी सहायक, शिक्षा विभाग/ प्रभारी प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना/श्री रवि कुमार, पुत्र स्व0 श्याम बाबु, कौशल नगर, मुर्गी फार्म रोड, पोस्ट–जी०पी०ओ०, थाना–हवाई अड्डा, जिला–पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14, शिक्षा विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाइ हेतु प्रेषित।

Khalid Mirza 22-8-11

(खालिद मिर्जा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)